अधिकारी, रानीश्वर को (वाहन+ईंधन+चालक सहित) दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक, दुमका इस कार्य हेतु पर्याप्त सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रावधानुसार कार्रवाइ करेंगे।

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (तनावग्रस्त अस्थियाँ वसुली शाखा), रांची (कूट संख्या– 10201) उपर्युक्त वर्णित कार्यों के लिये प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस बल/चालक आदि का आकलन के अनुसार उनकी फीस के रूप में राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।

ज्ञापांक...../डी0बी0, दुमका दिनांक.....

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, रानेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक महाप्रबंधक भारतीय स्टैट बैंक (तनावग्रस्त अस्थियाँ वसूली शाखा), राँची(कुट संख्या-10201) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

उप समाहर्त्ता,
जिला विधि शाखा, दुमका।

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

SARFAESI वाद सं0– 01/2020–21

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ..... आवेदक

बनाम्

मे0 अभिनाश एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज प्र0लि0, रानीश्वर (बदला हुआ नाम मे0 आमोलिका एग्रो इण्डिया प्रा0लि0) .....विपक्षी

।। आदेश ।।

18/12/2020 यह SARFAESI वाद सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (तनावग्रस्त अस्थियाँ वसुली शाखा), रांची (कूट संख्या– 10201) के पत्र संख्या– 1446 दिनांक 26.12.2019 द्वारा मे0 अभिनाश एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज प्र0लि0 (बदला हुआ नाम मे0 आमोलिका एग्रो इण्डिया प्रा0लि0), रानीश्वर, जिला– दुमका के विरूद्ध SARFAESI एक्ट 2002 के धारा 14 के तहत् कार्रवाई करने हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा Mortgage किये गये अचल सम्पत्ति को प्राधिकृत पदाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक को भौतिक दखल/कब्जा (Physical Possession) दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है। उन्हें बकाया ऋण की रकम को वापस करने हेतु नोटिस निर्गत किया किन्तु विपक्षी द्वारा बकाया रकम वापस नहीं किया गया है। बैंक द्वारा SARFAESI एक्ट 2002 की धारा 13(2) में विधिवत कार्रवाई करने हेतु कर्जदारों को ऋण राशि ब्याज के साथ जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित किया गया।

विपक्षी मे0 अभिनाश एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज प्र0लि0 (बदला हुआ नाम मे0 आमोलिका एग्रो इण्डिया प्रा0लि0),

रानीश्वर, जिला– दुमका को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात उनके द्वारा आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया गया है कि कम्पनी के निदेशक "लीवर" के बीमारी से ग्रसित है और इनका ईलाज दिल्ली में चल रहा है। अतः उन्हें तीन माह का समय दिया जाय। इस पर आवेदक का कहना है कि प्रोपराईटर (विपक्षी) कुल बकाया राशि 234.56 लाख में से सिर्फ 136 लाख रूपये भुगतान कर समझौता करना चाहा जिसे आवेदक (बैंक) द्वारा दिनांक 17.09.2020 को अस्वीकृत किया जा चुका है। अतः उनकी Security के रूप में दिया गया अचल सम्पत्ति का भौतिक दखल (Physical Possession) दिलाया जाय।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों को अवलोकन किया। आवेदक के साथ विपक्षी की समझौता अस्वीकृत करने के पश्चात 60 दिन से अधिक हो चुकी है तथा विपक्षी द्वारा बकाया राशि अबतक जमा नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, रानीश्वर के प्रतिवेदन के अनुसार मे0 अभिनाश एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज प्र0लि0 (बदला हुआ नाम मे0 आमोलिका एग्रो इण्डिया प्रा0लि0), रानीश्वर, जिला– दुमका चालू अवस्था में है। ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। SARFAESI एक्ट 2002 की धारा 14(2) के अन्तर्गत कर्जदार मे0 अभिनाश एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज प्र0लि0 (बदला हुआ नान मे0 आमोलिका एग्रो इण्डिया प्रा0लि0), रानीश्वर, जिला– दुमका, झारखण्ड पिन– 814148 के विरूद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा Mortgage किये गये अचल सम्पत्ति को प्राधिकृत पदाधिकारी भारतीय स्टेट बैंक को भौतिक दखल–कब्जा (Physical Possession) दिलाने हेतु अंचल